## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

**पीठासीन अधिकारी श्री महेश गगोरिया (आर०ए०एस०)**

प्रकरण संख्या : 12/2024
दायर दिनांक : 09/04/2024
निर्णय दिनांक : 09/10/2025

**उनवान**

1 गोपीलाल पिता देवा कीर निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर

**प्रार्थी**

**बनाम**

1 तहसीलदार भूपालसागर

**अप्रार्थीगण**

**राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956**

**उपस्थिति** : 1.श्री कन्हैया माली, अधिवक्ता प्रार्थी

**: : निर्णय : :**

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अंतर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कांकरवा में प्रार्थी के नाम पर संयुक्त खातेदारी कृषि आराजियात स्थित है। जिसके हाल खाता संख्या 853 में दर्ज हाल आ0स0 1764रकबा 0.24 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.24 है0 में 1/6 हिस्सा दर्ज है। तथा इसी प्रकार खाता संख्या 242 में दर्ज हाल आ0न0 1834 रकबा 0.05 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.05 है0 में 1/8 हिस्सा दर्ज है। उक्त आराजियात मुझ प्रार्थी का नाम उदा पुत्र देवा दर्ज कर दिया जो गलत है। वजह सबूत हाल जमाबंदी कि प्रमाणित नकल प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत हैं। यह कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 1 में वर्णित आराजियात में प्रार्थी का नाम गोपीलाल पुत्र देवा दर्ज होना चाहिए था। क्योकि ग्राम कांकरवा में खाता संख्या 240 आ0न0 1757 से लगायत 4904/1879 कुल किता 17 कुल रकबा 4.97 है0 आराजियात में मुझ प्रार्थी का 1/6 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। जिसमें मुझ प्रार्थी का नाम गोपीलाल पुत्र देवा के नाम से दर्ज है। नामांतरण संख्या 2068 फैसल दिनांक 03.06.2019 से उक्त खाते मे उदा पुत्र देवा के बजाय गोपीलाल पुत्र देवा किए जाने का आदेश पारित कर इंद्राज दुरूस्ती की गई थी लेकिन गलती से कॉलम संख्या 1 में वर्णित आराजियात संख्या 853 व 242 में इंद्राज दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। वजस सबूत खाता संख्या 240 की प्रमाणित जमाबंदी की नकल नामांतरण संख्या 2068 की प्रमाणित नकल प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है। प्रार्थी की पहचान के समस्त दस्तावेज में प्रार्थी का नाम उदा पुत्र देवा के बजाय गोपीलाल पुत्र देवा दर्ज किए जाने का आदेश प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थी अपनी आराजियात पर बैंक से रहन राशि प्राप्त करने हेतु जमाबंदी की नकल लेने पर जानकारी हुई की मुझ प्रार्थी का नाम जमाबंदी में गलत दर्ज है। नाम को दुरूस्त करवाने हेतु शुद्धि का प्रार्थना पत्र 23.01.2024 को तहसीलदार भूपालसागर को प्रस्तुत किया गया। लेकिन उनके द्वारा शुद्धि किए जाने से इंकार कर इंद्राज दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के कहा, जिसके बाद नकल प्राप्त करने से लेकर निरंतर जारी है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को सम्मन नोटिस जारी किये गये। पैरोकार सरकार ने नां.सं. 2068 दिनांक 28.05.2019 अनुसार शुद्धि किया जाने में कोई आपत्ति नहीं होना बताया। उभयपक्ष की बहस अंतिम बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी आराजियात के हाल खाता 853, 242 में प्रार्थी का नाम उदा पुत्र देवा के बजाय गोपीलाल पुत्र देवा दर्ज किये जाने का आदेश पारित करने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.10.13 14:01:01 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला–चित्तौड़गढ़

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

हमने पत्रावली एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया, दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया एवं तथ्यों पर गहनतापूर्वक विचार किया।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं उपभयपक्ष की बहस पर मनन के पश्चात प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तहसीलदार, भूपालसागर को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम कांकरवा की खाता संख्या 853 व 242 में प्रार्थी का नाम उदा पुत्र देवा के बजाय गोपीलाल पुत्र देवा अंकित किया जावे। उक्त निर्णय से भूमि के रकबा एवं नक्शा में किसी प्रकार का संशोधन अपेक्षित नहीं होगा। निर्णय आज दिनांक 09.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला-चित्तौड़गढ़

(महेश गगोरिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.10.13 14:01:01 IST
Reason: SelfAttested